Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. SBB/3/2017/MCVL1/SEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 26-12- 2017

To,

The Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110 001

Sub Representation of Shri Sagar Bhima Bambere, at-Kodani, Post- Randha, Tehsil-Akole, District-Ahamadnagar, Maharashtra regarding non-receipt of Scholarship for Commercial Pilot Licence course to Scheduled Tribe students.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 21.12.2017 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Sagar Bhima Bambere,
At-Kodani, Post- Randha,
Tehsil-Akole,
District-Ahmednagar,
Maharashtra-422 604

2. SAS, NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SBB/3/2017/MCVL/SEOTH/RU-III)

श्री सागर भिमा बांबेरे, ग्राम- कोदनी, पोस्ट- रंधा, तहसील- अकोला, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति नहीं मिलने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 20.12.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री सागर भिमा बांबेरे, ग्राम- कोदनी, पोस्ट- रंधा, तहसील- अकोला, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र ने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति नहीं मिलने के मामले में दिनांक 28.06.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया। अभ्यावेदन में अभ्यावेदक ने लिखा है कि उन्होंने 28 अप्रैल 2015 को कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर में प्रवेश लिया था। किन्तु उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली टॉप क्लास छात्रवृति नहीं दी गई। ना ही इस कोर्रा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति का लाभ दिया गया।
2. अभ्यावेदक के मामले पर आयोग ने दिनांक 06.07.2017 को एक नोटिस जारी कर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय से जानकारी माँगी। इसके प्रत्युत्तर में श्री एम।के।झा, अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय का दिनांक 13.09.2017 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। इसमे अभ्यावेदक के मामले में यह उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए टॉप क्लास एजुकेशन अप्रैल 2015 से नहीं दी गई है। पत्र में आगे यह बताया गया कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अधीन है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. मंत्रालय के प्रत्युत्तर से अभ्यावेदक को अवगत कराया गया, किन्तु इससे असंतुष्टि जाहिर करते हुए अभ्यावेदक ने दिनांक 24.11.2017 को रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया और इस मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया। आयोग ने अभ्यावेदक के मामले में दिनांक 12.12.2017 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 20.12.2017 को आयोग में चर्चा के बुलाया।
4. आयोग में चर्चा के लिए सचिव की जगह श्री गोपाल साधवानी, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय उपस्थित हुए।
5. आयोग ने अभ्यावेदक से अपनी बात रखने को कहा, अभ्यावेदक श्री सागर भिमा बांबेरे ने आयोग को अवगत कराया कि कि उन्होंने 28 अप्रैल 2015 को कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर में प्रवेश लिया था। किन्तु उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली टॉप क्लास छात्रवृति नहीं दी गई। ना ही इस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति का लाभ दिया गया। उन्होंने मंत्रालय द्वारा आरटीआई में प्राप्त यह सूचना भी प्रस्तुत की जिसमे मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि 2013 - 2014 के बाद से कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति का आवेदन आमंत्रित ही नहीं किया है। अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि उन्होंने सैद्धांतिक कोर्स पूरा कर लिया है केवल उनकी फ़्लाइंग ट्रेनिंग बाकी है जो उक्त छात्रवृति के अभाव में पूर्ण करना असंभव है। अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि जनजाति वर्ग के छात्रों को इन छात्रवृतियों के बंद होने से काफी नुकसान हो रहा है, ख़ास कर उनका, जिनका कोर्स अधूरा रह गया है। उन्होंने आयोग से निवेदन किया कि उनके प्रशिक्षण की वैधता दो वर्ष शेष रह गई है यदि दो वर्ष के अन्दर उन्होंने फ़्लाइंग ट्रेनिंग नहीं पूरी की तो उनका अब तक का किया कोर्स, समय, श्रम व्यर्थ जाएगा तथा उनका कैरियर भी खराब हो जाएगा।
6. आयोग ने निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय से इस विषय में जानकारी माँगा। निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आयोग को अवगत कराया कि मंत्रालय में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा चल रही है इस वजह से इसके लिए आवेदन निकालने में विलंब हुआ है। टॉप क्लास इन्स्टीट्यूट के सन्दर्भ में उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक के इंस्टिट्यूट गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, अतः वहाँ से इनको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग यह पाया कि इस प्रकार के मामले में अभ्यावेदक जैसे कई छात्र प्रभावित होते हैं। यदि उन्हें इस छात्रवृति का लाभ नहीं दिया जाएगा तो वे इस प्रकार के मंहगे कोर्स को संपन्न करने में असमर्थ होंगे। आयोग ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि पिछले चार वर्षों से कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रदान नहीं की गई है। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की समीक्षा यथा शीघ्र किया जाय और इसके विषय में आयोग को भी सूचित किया जाय। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि अभ्यावेदक के प्रशिक्षण आवधि की वैधता 2 वर्ष है अतः इस बात का ध्यान रखते हुए यह समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित के लिए इस तरह की छात्रवृति बंद करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुकूल उचित तरीके से इस तरह के नीतिगत फैसले लिए जाने चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SBB/3/2017/MCVL/SEOTH/RU-III)

श्री सागर भिमा बांबेरे, ग्राम- कोदनी, पोस्ट- रंधा, तहसील- अकोला, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति नहीं मिलने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री गोपाल साधवानी, निदेशक,

अभ्यावेदक

1. श्री सागर भिमा बांबेरे
2. श्री स्टेफेन